



३२१

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 070413



विक्रम अनुबन्ध पत्र

प्रतिफल की धनराशि - ₹0 14,31,872/-
 अग्रिम धनराशि - ₹0 14,28,872/-
 बकाया धनराशि - ₹0 5,000/-

(Signature)
 श्री. प्रकाश

(Signature)
 श्री. अमर

(Signature)
 श्री. अमर

(Signature)
 श्री. अमर

5411 ----- 30-11-11

~~_____~~
~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~
~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~
~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~

गुणवत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण
बातों को ध्यान में रखकर
कार्यवाही की जायेगी।
धन्यवाद।

गुणवत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण
बातों को ध्यान में रखकर
कार्यवाही की जायेगी।
धन्यवाद।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 070414

सालिकता - ₹0 6,32,000/-
आदा किये गये जागरूक स्टैम्प - ₹0 1,00,350/-

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

547 30-11-12

ATMOSPHERIC MILITARY SERVICE

SECRET

RECEIVED
MILITARY SERVICE
ATMOSPHERIC MILITARY SERVICE
30-11-12



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 070415

1	शुनिका प्रकार	-	शुनिका
2	परगना	-	बिजौली
3	ग्राम	-	बरीला

07/04/15

07/04/15

07/04/15

07/04/15

5418


30-11-12

21431 5/11/12 51 2191 24712

21431

5000

Handwritten notes and scribbles, possibly including a signature or date.



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 070425

4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि: खसरा संख्या 27224, पकवा
0.162 हेक्टेअर का पूर्ण भाग स्थित ग्राम-बहीना, परगना-
बिलसौर, जहासीख त. जिला लखनऊ।

श्री 27224

श्री 27224

श्री 27224

श्री 27224

Handwritten text at the top of the page, possibly including a date and a name. The text is partially obscured by a horizontal line and appears to be written in ink.

Handwritten signature and text in the middle-left section of the page. The signature is stylized and followed by some printed text, which is mostly illegible due to the image quality.



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF Q70426

1. मापन की इकाई — सेन्टीमीटर
2. जमावृत्ति का क्षेत्रफल — 0.152 हेक्टेयर
3. बावक की स्थिति — युष्मानपुर रोड की 200 मीटर से अधिक दूर

20/11/2021

20/11/2021

20/11/2021

20/11/2021



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF. 070427

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
9. फिरो की स्थिति — कोई फिरो नहीं है।
10. बोरिंग / कुआँ / अन्य — बोरिंग भी नहीं है।

20/07/2024

20/07/2024

20/07/24

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 070416

सौहार्दनी खसरा नं० ३२६स.

खसरा नं०-३१६, ३१७, १६३६
पान सीमा सेवई
खसरा नं०-३१६, ४६१
खसरा नं०-३१२, ३१३




३१६/३१

14372
1937
1937
1937
1937

14372
1937
1937
1937
1937

1937
1937
1937
1937



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 070417

प्रथम पक्ष की संख्या-3

द्वितीय पक्ष की संख्या-1

प्रथम पक्ष का विवरण	द्वितीय पक्ष का विवरण
1. भैरवलाल 2. गज्याचाम पुत्रगण स्वयं विशुन नारायण 3. बीमती जग्गो पत्नी स्वयं विशुन नारायण निवासीगण-ग्राम बरौना परगना सिफनौर, लखीमपुर व जिला लखीमपुर।	राकेश कुमार पुत्र समाधस्ताद निवासी-ग्राम पूरनियि डूबे, मजरा फिलौली, राधवरौली।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

11-01-2019
11-01-2019

20/1/19

NAME: _____
ADDRESS: _____
CITY: _____
STATE: _____
ZIP: _____
DATE: _____
SIGNATURE: _____
OFFICE: _____
TELEPHONE: _____
FAX: _____

14371

Schiller

1100

Schiller

1100
1100
1100
1100



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 070418

यह विवाद सम्बन्धित पत्र 1. मेवाला 2. मायाधाम पुत्रागण तथा विष्णु
सारागण 3. श्रीमती जगो पत्नी तथा विष्णु मायाधाम विधानीयण-नाम
बरीगा पश्चिम विज्जौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे प्रथम
पक्ष कहा गया है (जिलेके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी,
कारिगम एवं निष्ठादक्षणा सम्मिलित है)

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 11.

Handwritten signature or mark.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-10-

एवम्

राकेश कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी-ग्राम कुशनिमि दूरे, मजरा किलौली, रामबरेली जिल्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है (पित्तके अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तरदायिकारी, गारंटर एवं सिम्पारकलण समितिका हे) के मध्य निम्नवित्त किया गया।

[Signature 1]
 [Signature 2]
 [Signature 3]

21/5/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-11-

श्री. कि. सुनि. एस. संख्या 27488, संख्या 8/152, मेयरद्वार का पूर्व भाग स्थित राम-बरीना, परगना- बिजनौर, तहसील- न. विहा उपखण्ड का मालिक आशुतोष न. कश्यप है तथा उपरोक्त संपत्ति परचार्जिका खाता खाती संख्या 00639 से अनुसार सुनि. प्रथम पक्ष के नाम राजस्व जमिलखी के अंतर्गत असहसंगीत भूमिपत्र दर्ज है। प्रथम पक्ष अधूनन सम्पूर्ण विश्वास द्वितीय पक्ष को इस विषय अनुबन्ध पत्र द्वारा

2/11/11

25946

20/11/12

1750 5000 870 1100 1000

5000

1750 5000 870 1100 1000

1750 5000 870 1100 1000



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-12-

विशेष कर रहा है। प्रथम पक्ष अप्रतीकत सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कानिहा व कानिजा डे एच वर्तमान सलाह में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि अप्रतीकत अधिगत भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं माफ़ व साफ़ है तथा प्रथम पक्ष ने उक्त इस अधिकार के पूर्ण काडी सय, तिसर, गिश्वी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि करण या अन्य प्रकार का कोई भार नहीं

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

क्र.सं. 52947 दि. 30/11/12
जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली
जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली

जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली
जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली
जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली जिल्हा सांगली



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



लिपि है। यदि कोई ऐसा बात सचिप में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व संबंधी कारिरान व विधिक उत्तरदायिणी होंगे। उपरोक्त भूमि का उल्लेख कोई भूमि किली न्यायालय वा सरकारी कार्यालयों में जमागत सिगाए का परतु विषय नहीं है न ही कुक इत्यादि है। जयम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वतः हाक या दावा इत्यादि नहीं है। एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध करने का

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

1. प्रश्न संख्या 2012
 2. प्रश्न संख्या 2012
 3. प्रश्न संख्या 2012
 4. प्रश्न संख्या 2012
 5. प्रश्न संख्या 2012
 6. प्रश्न संख्या 2012
 7. प्रश्न संख्या 2012
 8. प्रश्न संख्या 2012
 9. प्रश्न संख्या 2012
 10. प्रश्न संख्या 2012



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-14-

पूर्ण तस्मिन्नाह साया है। अतएव उपरोक्त सम्बन्धि के फलस्वरूप कुल
 विवेक्य मुला रु० 14,51,672/- (रु० चौदह लाख इक्विंस हजार रु० सौ
 बहत्तर मात्र) को प्रतिफल में द्वितीय पल को विक्रय करने का सब किया है
 जिसने से बाकी अन्तिम धनराशि रु० 14,26,672/- (रु० चौदह लाख
 छब्बीस हजार रु० सौ बहत्तर मात्र) प्रथम पल में प्राप्त कर लिया है
 जिसका उपरोक्त द्वितीय पल द्वारा प्रथम पल को इस विवेक्य के जन्म में

14,51,672
 14,26,672
 24,78,344

रु० 24,78,344




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



415

ती गई अनुसूची के अनुसार सुगमता कर दिया गया है एवं जिला की प्रशासकीय कार्य में सहायता के लिए उपयोग करता है तथा प्रथम पक्ष स्वयं को सम्बन्धीय गुणधर्म दर्शा करके तथा अन्य व सम्बन्धित बहाना-कारिणादी से विषय सम्बन्धी बात करके द्वितीय पक्ष को लिखित सूचना देगा तथा सूचना प्राप्त होने से तीन माह के अन्दर शेष बकाया धनराशि रु 6,000/- (रु 6 हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष



2/11/11

18032
11.11.11

11.11.11

11.11.11
11.11.11
11.11.11



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



बल्लर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 070412

कें पक्ष में लिख्य विवेक अथवा निष्पादित कल वेग तथा लोई
दीवाहाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति
में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह खरिबे अवागत दिनांक
विवेक निष्पादित करवा ले।

एक कि प्रथम पक्ष द्वारा विहीन भूमि का कम्पा इस अनुबंध
पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।



Handwritten signature or mark.

AE 070412

1507

29-11-82

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000

Prof

21/11/82 STATE GOVT. ENGINEERING COLLEGE

1000



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 070410



-12-

इस कि अब उक्त आदेश पर प्रथम पक्ष तथा उसके अधिकांश का कार्य अधिकांश नहीं है।

यदि विकसयुक्त समिति अधिकांश कार्य प्रथम पक्ष के सम्मिलित न जुटि के कारण या कानूनी अडपन या कानूनी जुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके अधिकांश निष्पादन इत्यादि के करने या अधिकांश या स्वयं से निष्पादन कार्य ही द्वितीय पक्ष उसके अधिकांश

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten initials or date at the bottom right.

6218
29.11.63
SOUTH WEST CORNER STATION
570
faint





भारत UTAR PRADESH



-18-

निष्प्राप्तकर्ता इत्यादि को यह एक होगा कि वह अपना समस्त मुकदमा
 मर हज्जा व खर्चा प्रथम प्ला की धरा, अथवा सम्पत्ति से जादिये कथयता
 वसूल करे। इस स्थिति में प्रथम प्ला एवं उसके वारिसाल हज्जा व
 खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

एवं कि प्रथम प्ला एवं भी घोषित करता है कि चला भूमि
 सम्पन्नता विकास प्राधिकरण, सख्तक जय जयधर जामास एवं विकास

Handwritten signatures and names in Hindi, including 'A. शर्मा' and 'B. शर्मा'.

Handwritten signature or initials.

605
M-11-12

11th Street 1007-2015

ms
10-1



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



परिवार सम्बन्ध नष्ट अन्य किसी भी सम्बन्धी जमानत गैर सरकारी
संस्था द्वारा अधिपक्षीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है। यह
कि इस विषय अनुमत्य पत्र के पुरे का अन्त कोई बाधना किसी
तरिक्या भाव इस सम्बन्ध पर होगा तो उसके प्रथम पक्ष मुहताम पर
वर्तन करेगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

100-100000

FILE FILE 23 2000 2000
2000 2000
2000 2000
2000 2000

100-100000






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



द्वितीय एवं प्रथम अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विकास अनुसूच
एवं श्री विष्णुधन झा सराफ एवं द्वितीय पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया है।



10/11/25

12685

30-11-12

210921 27012 50 2109 2115


2109 2115

2109 2115 2018






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विशेषतः यह चिह्न अनुबन्ध पत्र प्रेषण पत्र के द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी फॉर वॉरनाट के स्वल्प मिला मन ही सम्भ्रम गवाहता लिये किया जाकि साराष्ट्र स्टैंड और वरदा प्रशस्त करने पर काम आवे।



अधीन



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



परिशिष्ट भुगतान विवरण

क्र. 1 प्रमाण पत्र का 4,75,057/- मात्रा बैंक संख्या- 5570 23

दिनांकित 22/11/2015 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दौरगंज लखनऊ हिंदी

(मा से प्राप्त हुए)

22/11/2015
 22/11/2015
 22/11/2015

22/11/2015



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 244685

-3-

2. प्रथम पत्र को 4,75,667/- द्वारा पत्र संख्या- 537/3+

दिनांकित 28/11/2007 को जमानत बैंक, उत्तरप्रदेश लखनऊ द्वितीय
पत्र से प्राप्त हुए।

3. प्रथम पत्र को 4,75,888/- द्वारा पत्र संख्या- 537/3K

दिनांकित 28/11/2007 को जमानत बैंक, उत्तरप्रदेश लखनऊ द्वितीय
पत्र से प्राप्त हुए।

लखनऊ

21/11/21

लखनऊ

लखनऊ

इस प्रकार प्रथम पक्ष को जमानत मूल्य रु 14,26,573/- (शुद्ध
गौदक अथवा सन्धीश हजार छः सौ चत्तर हजार) द्वितीय पक्ष ने प्राप्त
हुए जमानती प्राप्ति अवसर पर स्वीकार करवाते हैं।

लखनऊ
दिनांक : 30.11.2012
गवाह :

1. पंकज पाठक
हर्षिकर पाठक
लखनऊ (सहगवाह)

 प्रथम पक्ष
 जमानत
 लखनऊ

2. शिव नारायण
शिव नारायण
अहमदनगर जल संचयन

द्वितीय पक्ष
शिव नारायण



टाईपकर्ता

(सर्वोत्तम सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

नर्सिदाफर्ता

(विमल कुमार सिंह)
एअरबीट
सिविल कोर्ट लखनऊ

पाना - काना

परगना - लिपना

तहसील -

संख्या -

279

पिडीतसंख्या -

0/1/2

है



सिपा



सिपा



सिपा



सिपा

सिपा

सिपा

दिनांक: 30/11/2012 को

पृष्ठ नं. 1 पृष्ठ सं. 14901

पृष्ठ नं. 105 से 346 का मूल्य 10000

संशोधन विभाग, भा.सं.

सिस्टीम, लीब्रेरी, से. भा.सं.

बी.एस.सी.

संशोधन विभाग (अध्ययन)

संशोधन

संशोधन विभाग

